

86-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपर
 बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का
 अवलोकन करने पर ग्रामी का प्राप्ता स्वीकार
 योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।
~~विस्तृत~~ निर्णय पृथक से लिखा जाकर
 संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तारीख तकमील
 होकर साप्लिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर सुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
 RA 5